[2023] 12 एस0सी0आर0 68: 2023 आईएनएससी 804

(मामले का विवरण)

लद्दाख संघ शासित क्षेत्र तथा अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कान्फ्रेन्स तथा एक अन्य

(सिविल अपील सं0 5707 वर्ष 2023)

सितम्बर 06, 2023

(विक्रम नाथ तथा अहसनुद्दीन अमानुल्ला, न्यायमूर्तिगण)

<u>शीर्ष टिप्पणियाँ</u>

विचारणीय मुद्दा: उच्च न्यायालय क्या प्रत्यर्थी सं0 1 (प्र0 1) के आवंटित निशान को अधिसूचित करने तथा इसके द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को पहले से आवंटित आरक्षित चुनाव निशान पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, कारगिल के आगामी सामान्य निर्वाचन में लड़ने के लिए अनुमति देने का निदेश देने वाले एकल न्यायमूर्ति के अंतरिम आदेश की पुष्टि करने में तथा अपीलकर्तागण द्वारा दाखिल अपील को खारिज करने में न्यायानुमत था।

चुनाव निशान (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968-पैरा-9, 10, 10(ए), 12 - प्रत्यर्थी सं0 1 को हल निशान का प्रत्याख्यान -अनौचित्य:

अभिनिर्धारित: प्रत्यर्थी सं0 1 संबंधित अधिकारियों के समक्ष अधिसूचना दिनांक 26.07.2013 को आक्षेपित करते हुए समय में था जिसने इस हल निशान का खण्डन किया था- प्रत्यर्थी 1 के प्रतिनिधित्व के सदस्यगण अपीलकर्तागण आगे गये तथा 02/05.08.2023 को चुनावों को अधिसूचित किया था- हल निशान के आवंटन हेतु प्रत्यर्थी 1 का अनुरोध सदभाविक, विधिसम्मत तथा न्यायपूर्ण था, क्योंकि पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य में (जिसमें लद्दाख का वर्तमान संघ शासित क्षेत्र शामिल था), यह मान्यता प्राप्त राज्य का दल था जिसे हल निशान आवंटित किया गया है - पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के द्विशाखन तथा दो नये संघ शासित क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र तथा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के सृजन के पश्चात, यद्यपि भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रत्यर्थी 1 को लद्दाख संघ शासित क्षेत्र हेतु राज्य के दल के रूप में अधिसूचित नहीं किया था, यह सर्वथा नही हो सकता है कि प्रत्यर्थी 1 हल निशान के आवंटन हेतु हकदार नही था- इसी तरह, किसी अन्य पणधारी में कोई विरोध नही था क्योंकि हल का निशान तो किसी राष्ट्रीय या राज्य के दल को अनन्य रूप से आवंटित निशान था न ही स्वतंत्र निशानों की सूची में निशानों में एक को प्रदर्शित किया गया था - इस प्रकार, प्रत्यर्थी 1 को दिये गये इस प्रकार के निशान में कोई बाधा नही थी तथा है- निशानों के आवंटन से संबंधित प्रश्नगत निर्वाचनों के संचालन हेतु विरचित किसी नियम में प्रतिकूल किसी बात के अभाव में, इसी प्रकृति के कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए 1968 आदेश के प्रावधानों पर भरोसा दिशा निर्देश के रूप में किया जा सकता है- 1968 आदेश के निबंधनों के अन्तर्गत पैरा 9, 10, 10(ए) तथा 12 के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन के पश्चात, प्रत्यर्थी 1 का अनुरोध औचित्य से वंचित नही है- 1968 आदेश के दृष्टिगत, अपीलकर्तागण का विवेकाधिकार अनियंत्रित नही था, बल्कि, यह 1968 आदेश द्वारा मार्गदर्शित था- प्रत्यर्थी 1 इसके द्वारा प्रदर्शित किये जाने के

लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों हेतु हल निशान के एकमात्र आवंटन का हकदार है- उच्च न्यायालय के आदेश निर्वाचन प्रक्रिया के सहायतार्थ था, इसमें त्रुटि नही-सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अपास्त-नये सिरे से अधिसूचना जारी की जाय- अपील खर्चों के साथ खारिज- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 - धारा 12, 13 - भारत का संविधान- अनुच्छेद 226 - निर्वाचन विधियाँ (पैरा 21, 23, 27-30, 37, 40 तथा 44)

भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ, बुनियादी ढाँचा का हिस्सा:

अभिनिर्धारित: संविधान के अन्तर्गत निहित सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के शक्तियों को संविधान के बुनियादी ढाँचा का हिस्सा होने के नाते कम, अपवर्जित या छीना नहीं जा सकता है। (पैरा 16)

वैकल्पिक उपचार- रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु वर्जन नहीं- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1997- धारा 13:

अभिनिर्धारित: वैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता उच्च परमाधिकार रिट अधिकारिता के प्रयोग के लिए वर्जन नहीं होता है- धारा 13, 1997 आगे अग्रसर होने से संवैधानिक न्यायालय को नहीं रोकता है तथा नहीं रोक सकता है- उच्च न्यायालय स्वयं द्वारा जारी प्रकृति के निदेश को जारी करने से प्रवारित नही है, ऐसा तब जब इस प्रकार का निदेश किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नही करता है- भारत का संविधान-निर्वाचन विधियाँ। (पैरा 16)

पद्धति और प्रक्रिया- अंतरविभागीय संसूचनाएँ- भरोसा किया गयाः

अभिनिर्धारित: अंतरविभागीय संसूचनाएँ समुचित निर्णय हेतु विचार के प्रक्रिया में है तथा किसी अधिकार का दावा करने के आधार के रूप में भरोसा नही किया जा सकता है- वर्तमान मामले में यह ठीक ही प्रतिवाद किया गया था विधि विभाग द्वारा विधिक राय आन्तरिक सलाह होती है तथा एक मात्र सलाह तथा यह प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में कोई अधिकार सृजित/प्रदान नहीं करेगा-निर्वाचन- प्रशासनिक विधि (पैरा 17)

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226- बिरल तथा आपवादिक स्थिति में कार्यवाही हेतु निदेश देने की शक्ति, संबंधित प्रावधानों में उल्लिखित नहीं- चर्चा की गई।

निर्वाचन- निर्वाचन प्राधिकारी का किसी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र होना:

अभिनिर्धारित: किसी पद/निकाय का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी होना आवश्यक है- निर्वाचन लोकतंत्र के हृदय में रहता है- इस प्रकार के निर्वाचनों को संचालित करने के लिए विधि द्वारा सुपुर्द प्राधिकार को पूर्णतया किसी बाहरी प्रभाव/प्रतिफल से स्वतंत्र होना चाहिए- वर्तमान मामले में, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र ने न केवल प्रत्यर्थी 1 को हल निशान से वंचित किया था, बल्कि एकल न्यायमूर्ति द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने के बाद भी, सिर्फ समय बिताते हुए न केवल विरोध करने बल्कि उद्देश्य को विफल करने के लिए कोई कोर कसर नही लगाया था। (पैरा 22)

निर्वाचन- पहले के स्थिति को वापस लाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति:

अभिनिर्धारित: अपीलकर्तागण का अभिवाक् कि निर्वाचन प्रक्रिया के उपांतिम प्रक्रम पर पहुँच जाने के कारण प्रत्यर्थी 1 को कोई अनुतोष न दिया जाय, नामंजूर- उच्च न्यायालय के

क्रमिक आदेशों का अनुपालन न करने को चुनने के बाद जिसे समय में पारित किया गया था, जैसे अधिसूचित निर्वाचन अनुसूची में बाधा न डालना/विलम्ब न करना, अपीलकर्तागण को यह अभिवचन करने की अनुमति नही दी जा सकती है कि इतने विलम्ब पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए- किसी वादकारी के पास लेश मात्र भी संदेह या गलत विचार नही होना चाहिए कि मात्र जानबूझकर किये गये विलम्ब या न्यायालयों द्वारा मामलों को ग्रहण न किये जाने के कारण जिसके परिणामस्वरूप समय बीत गया उद्देश्य विफल हो जायेगा तथा न्यायालय को संबंधित दल को न्याय सुनिश्चित करने के लिए असहाय बना दिया जायेगा- यह न्यायालय घड़ी को पीछे भी मोड़ सकता है, यदि स्थिति इस प्रकार के कठोर कार्यवाही की अपेक्षा करता है- पहले की स्थिति बहाल करने के लिए भी, यदि जरूरी हो, इस न्यायालय की शक्तियाँ किसी संदेह के क्षेत्र में नही है, जैसा (2016) 6 एससीआर 1 में संप्रकाशित नवम् रेविया तथा वमंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरूणांचल प्रदेश विधान सभा में अभिनिर्धारित किया गया है- यद्यपि नवम् रेविया को सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, राज्यपाल महाराष्ट्र में बृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट किया गया है फिर भी, वृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट प्रश्न पूर्वोक्त शक्ति से कम नही करता है तथा इसके अलावा वृहतर पीठ को संदर्भ मात्र घोषित विधि को अव्यवस्थित नहीं करता है- भारत का संविधान- पद्धति और प्रक्रिया- वृहतर पीठ को संदर्भ घोषित विधि को अव्यवस्थित नही करता है। (पैरा 31 तथा 32)

पद्धति और प्रक्रिया- उच्च न्यायालय इस आधार पर मामलों का विनिश्चिय नहीं करता है कि संबंधित विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख निर्णय या तो वृहतर पीठ को निर्दिष्ट है या इससे संबंधित पुनर्विलोकन याचिका लंबित है- उच्च न्यायालय जो निर्णयों के अनुपालन से इंकार करते हैं क्योंकि परवर्ती समन्वय पीठ ने इसके विशुद्धता पर संदेह व्यक्त किया है- विधि अधिकथित:

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय विधि जैसा लागू है के आधार पर मामलों का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगें- यह स्वतंत्र नहीं है, जब तक कि संदर्भ या पुनर्विलोकन याचिका, जैसी स्थिति हो के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से निदेशित न किया जाय- उच्च न्यायालय यह कहते हुए निर्णय का पालन करने से इंकार करने के लिए भी स्वतंत्र नही है कि इस पर परवर्ती समन्वय पीठ द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है- आगे, किसी भी स्थिति में, जब सर्वोच्च न्यायालय के समान संख्या के पीठों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों की ओर देखा जाता है, पूववर्ती के निर्णय का अनुसरण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए- न्यायिक अनुशासन (पैरा-35)

निर्णय/आदेश-का निवर्चन

अभिनिर्धारित: कतिपय निर्णयों द्वारा, संसद, राज्य विधान सभाओं तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सिद्धांतों को अन्य कार्यक्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है- फिर भी, निर्णयों का निवर्चन हमेशा संबंधित विशेष मामले तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए- वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी तथा 329 पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिद्धान्ततः भी कोई वर्जन उच्च न्यायालय को हानि नहीं पहुँचाता है- निर्वाचन- भारत का संविधान- अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी तथा 329 (पैरा 36)

निर्वाचन- निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ- संवैधानिक न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेपः

अभिनिर्धारित: इस विस्तार तक निर्वाचन मामलों में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में न्यायालयों द्वारा स्व-गृहीत अवरोध कि एक बार अधिसूचना जारी हो जाती है तथा निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, संवैधानिक न्यायालय सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने में दिलचस्पी नही रखते हैं, विवादास्पद विवाद्यक नही है- लेकिन जहाँ न्यायानुमोद्य या बोधगम्य आधार के बिना उम्मीदवारों तथा/या राजनैतिक दलों के बीच चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के अन्यायपूर्ण कार्यपालिका कार्यवाही या प्रयत्न को बताने वाला विवाद्यक उत्पन्न होता है, संवैधानिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक ही नहीं बल्कि आबद्ध कर्तव्य है- भारत का संविधान (पैरा 37)

निर्वाचन- संबंधित अधिकारीगण मनमाना तरीके से निर्वाचन से संबंधित अपने व्यक्तियों का उपयोग कर रहे हैं- भ्रामक विचार कि अंततः निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात तथा जब इस प्रकार के निर्णयों/कार्यवाहियों को मात्र समय गुजारते हुए चुनौती दिया जाता है, अनुत्क्रमणीय परिणाम होगा तथा सारवान अनुतोष गढ़ा नही जा सकता है- ध्यान में रखा गया:

अभिनिर्धारित: अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का आचरण गंभीरतापूर्वक न्यायालय को व्यापक रूप से पुर्नविचार करने के लिए मजबूत कर सकता है, कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए स्वगृहीत अवरोध का और उदार निर्वचन आवश्यक हो सकता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया दिखाई पड़ना चाहिए तथा किसी प्रयतित अनिष्ट को समय से पहले नष्ट कर देना चाहिए (पैरा 39)

निर्वाचन- निर्वाचन प्रणाली में निशान का महत्व विशेष रूप से जिसे एक राजनैतिक बल को आवंटित किया गया है- चर्चा की गई।

<u>प्रोद्धरणों तथा अन्य निर्देशों की सूची</u>

संत केशवानंद भारती श्रीपदगलवरू बनाम केरल राज्य, (1973) **4 एससीसी 225: (1973) अनूपूरक एससीआर 1**; *इन्दिरा नेहरू गाँधी बनाम राज नारायण,* **1975 अनुपूरक एससीसी 1: (1976) एससीआर 347:** *मिनरवा मिल्स लि0 बनाम भारत संघ,* **(1980) 3 एससीसी 625: (1981) 1 एससीआर 206:** *एल चन्द्रकुमार बनाम भारत संघ* **(1997) 3 एससीसी 261 (1997) 2 एससीआर 1186:** *कल्पना मेहता बनाम भारत संघ* **(2018) 7 एससीसी 1; (2018) 4एससीआर 1:** *रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड* **(2020) 6 एससीसी 1; (2019) 16 एससीआर 1:** *नबम रेबिया तथा वमंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरूणाचल प्रदेश विधान सभा,* **(2016) 8 एससीसी 1: (2016) 6 एससीआर 1 - अनुसरण किया गया।**

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह, **1958 एससीआर 595;** *मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लि0 बनाम जहाँ खान,* **(2007) 10 एससीसी 88: (2007) 9 एससीआर 715:** *महाराष्ट्र शतरंज संघ बनाम भारत संघ* **(2020) 13 एससीसी 285: (2019) 10 एससीआर 304 ;** *राधा कृष्ण इण्डस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य* **(2021) 6 एससीसी 771;** *गोदरेज सारा ली लि0 बनाम उत्पाद एवं कराधान अधिकारी सह-निर्धारण प्राधिकारी,* **2023 एससीसी आन लाइन एससी 95:** *महादेव बनाम सोवन देवी,* **2022 एससीसी आनलाइन एससी 1118;** *त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी* **(2019); 16 एससीसी 663; (2019) 2 एससीआर 692***; ऐश मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य* **2023 एससीसी आन लाइन एससी 736;** *हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य*

(2009) 13 एससीसी 608: (2009) 11 एससीआर 1015; *अशोक सदरंगिनी बनाम भारत संघ* **(2012) 11 एससीसी 321; (2012) 3 एससीआर 826;** *नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी* **(2017) एससीसी 680: (2017) 13 एससीआर 100:** *श्री सादिक अली बनाम भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली* **(1972) 4 एससीसी;** *आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेन्स शिलांग बनाम कैप्टन डब्ल्यू ए संगमा* **(1977) 4एससीसी 161: (1978) 1 एससीआर 393;** *एड़ापद्दी के पलानी स्वामी बनाम टीटीवी दिनाकरन (***2019) 18 एससीसी 219: (2019) 3 एससीआर 200** - *भरोसा किया गया।*

सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, राज्यपाल महाराष्ट्र ***2023 एससीसी आन लाइन एससी 607;*** *हरियाणा राज्य बनाम जी0डी0 गोयंका पर्यटन निगम लिमिटेड* **(2018) 3 एससीसी 585,** *एन.पी. पोन्नू स्वामी बनाम रिटर्निंग आफीसर नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र* **1952 एससीआर 218;** *दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह* **(1955) 1 एससीआर 267;** *हरी विष्णू कामथ बनाम सैयद अहमद ईशावे,* **(1955) 1 एससीआर 1104;** *नारायण भाष्कर खरे (डा0) बनाम भारत का निर्वाचन आयोग,* **1957 एससीआर 1081;** *मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त* **(1978) 1 एससीसी 405 (1978) 2 एससीआर 272 ;** *लक्ष्मी चरण सेन बनाम एकेएम हसन उज्जमन* **(1985) 4 एससीसी 689: (1985) 1 अनुपूरक एससीआर 493;** *इन्द्रजीत बरूआ बनाम भारत का निर्वाचन आयोग,* **(1985) 4 एससीसी 722: (1985) 3 अनुपूरक एससीआर 225;** *भारत का निर्वाचन आयोग बनाम शिवाजी,* **(1988) 1 एससीसी 277: (1988) 1 एससीआर 878;** *दिग्विजय मोटे बनाम भारत संघ* **(1993) 4 एससीसी 175: (1993) 1 अनुपूरक एससीआर 553;** *बोद्दुला कृष्णैया बनाम राज्य चुनाव आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश* **(1996) 3 एससीसी 416: (1996) 3 एससीआर 687;** *अनुराग नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **(1996) 6 एससीसी 303: (1996) 5 अनुपूरक एससीआर 719 ;** *भारत का निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार* **(2000) 8 एससीसी 216 : (2000) 3 अनुपूरक एससीआर 34;** *किशन सिंह तोमर बनाम नगर निगम अहमदाबाद,* **(2006) 8 एससीसी 352: (2006) 7 अनुपूरक एससीआर 45,** *पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी);* **(2018) 18 एससीसी 141;** *द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य,* **(2020) 6 एससीसी 548; (2019) 14 एससीआर 704;** *लक्ष्मी बाई बनाम कलेक्टर* **(2020) 12 एससीसी 186: (2020) 2 एससीआर 880;** *गोवा राज्य बनाम फौजिया इम्तियाज शेख* **(2021) 8 एससीसी 401 - निर्दिष्ट**

<u>आक्षेपित आदेश सहित अन्य मामले का विवरण तथा अधिवक्तागण</u>

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 5707 की 2023

एलपीए सं0 151 वर्ष 2023 में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर के निर्णय तथा आदेश दिनांक 14-08-2023 से।

अपीलकर्ता 1: अपने मुख्य सचिव के जरिए लद्दाख संघ शासित क्षेत्र

अपीलकर्ता 2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र

अपीलकर्ता 3: जिला निर्वाचन अधिकारी (कारगिल)

अपीलकर्ता 4: प्रशासनिक सचिव, निर्वाचन विभाग, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र

प्रत्यर्थी 1: अपने महासचिव के जरिए जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स

प्रत्यर्थी 2: भारत का निर्वाचन आयोग

अधिवक्तागण:

तुषार मेहता, महा सालीसिटर, के.एम. नटराज, अपर महा सालीसिटर पीयूष वेरीबाल, रजत नैयर, शैलेश मड़ियाल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, विनायक शर्मा, डा॔0 अरूण कुमार यादव, श्रीकांत नीलप्पा टेरडल, अपीलकर्तागण के अधिवक्तागण

एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता, शारिक जे रियाज, सैयद अहमद सौद, दानिश अहमद सईद, मोहम्मद परवेज डावस, उजमी जमील हुसैन, अकीव वैग, मोहम्मद साहिब, श्रीमती शकील अहमद सईद, अक्षत अग्रवाल, अक्षय अमृतांशु, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

<u>सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश</u>

<u>निर्णय</u>

अहसनुद्दीन अमानुल्ला, न्यायमूर्ति

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. वर्तमान अपील रिट याचिका (सिविल) सं0 1933 वर्ष 2023 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति के अंतरिम आदेश दिनांक 09.08.2023 की पुष्टि करने वाले तथा अपीलकर्तागण द्वारा दाखिल लेटर्स पेटेंट अपील सं0 151 वर्ष 2023 को खारिज करने वाले जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर (एतस्मिन् पश्चात ''उच्च न्यायालय'' के रूप में निर्दिष्ट) के विद्वान खण्ड पीठ द्वारा दिये गये निर्णय तथा आदेश दिनांक 14.08.2023 (एतस्मिनपश्चात ''आक्षेपित निर्णय'' के रूप में निर्दिष्ट) के विरुद्ध निदेशित है।

<u>संक्षिप्त तथ्य:</u>

4. इस वाद में अन्तवर्लित विवाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल (एतस्मिन्पश्चात ''एलएएचडीसी'' के रूप में निर्दिष्ट) के आगामी सामान्य निर्वाचनों में लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों हेतु रिट याची, जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कान्फ्रेन्स/ इसमें प्रत्यर्थी सं0 1 (एतस्मिन् पश्चात ''प्र1'' के रूप में निर्दिष्ट) को हल चुनाव निशान आवंटन न किये जाने के बारे में है। मामले में अत्यावश्यकता के दृष्टिगत, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने 09.08.2023 को अंतरिम आदेश पारित किया था, पैरा 11 पर जिसका प्रवर्तनशील भाग निम्नवत् पठित है:

> *''11. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के सामान्य निर्वाचन की घोषणा की गई है, याची-पक्षकार की पहले आवंटित आरक्षित निशान (हल) को अधिसूचित करने के लिए प्रत्यर्थीगण 1 से 3 तथा 5 के कार्यालय में जाने के लिए निदेशित किया जाता है तथा प्रत्यर्थीगण 1 से 3 तथा 5 चुनाव निशान (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10 तथा 10(क) के निबंधनो के अनुसार याची - दल को आवंटित निशाल अधिसूचित करेगा तथा याची-पक्षकार द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को पहले ही दल को आवंटित आरक्षित चुनाव निशान (हल) पर चुनाव लड़ने की अनुमति देगा।''*

5. व्यथित, अपीलकर्तागण अपील अधिमानित करते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान खण्डपीठ के समक्ष गये थे, जिसे सुनवाई के बाद 14-08-2023 को आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज किया गया था।

<u>अपीलकर्तागण द्वारा निवेदन:</u>

6. अपीलकर्तागण के विद्वान अपर महा सालीसिटर (एतस्मिन् पश्चात ''एसएसजी'' के रूप में निर्दिष्ट) श्री के.एम. नटराज ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति तथा विद्वान खण्डपीठ ने विधि के विरुद्ध निदेशों के जारी किया है। यह निवेदन गिया गया है कि दोनों आदेशों को त्रुटिपूर्ण धारणा पर पारित किया गया है कि चुनाव निशान (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 (एतस्मिन्पश्चात ''1968 आदेश'' के रूप में निर्दिष्ट) का प्रावधान एलएएचडीसी के निर्वाचनों में लागू होगा। विद्वान अपर महा सालीसिटर ने निवेदन किया है कि यह सही विधिक स्थिति नही है क्योंकि एलएएचडीसी निर्वाचन लद्दाख स्वायत्त पर्ववतीय विकास परिषद (निर्वाचन) नियमावली 1995 (एतस्मिन् पश्चात ''1995 नियमावली'' के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 5 के अन्तर्गत गठित लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग (एतस्मिन् पश्चात '' ईसीआई'' के रूप में निर्दिष्ट) संसदीय तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन कराने के लिए सशक्त किया गया है तथा वर्तमान एलएएचडीसी निर्वाचन हेतु, भारत का निर्वाचन आयोग किसी अधिकार का प्रयोग नही करता है। इस प्रकार, विद्वान अपर महा सालीसिटर ने निवेदन किया है कि 1968 आदेश के प्रावधानों के संबंध में कोई संदर्भ अनुचित है।

7. विद्वान अपर महा सालीसिटर ने आगे तर्क दिया है कि 1968 आदेश का पैरा 9, 10 तथा 10(क) राज्यों में राज्य के दलों हेतु आरक्षित निशानों के आवंटन पर अवरोधों जहाँ इस प्रकार के दलों को मान्यता नहीं दी गई है; अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में राज्य के दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को छूट तथा गैर मान्यता प्राप्त दल जिसे पहले क्रमशः राष्ट्रीय या राज्य के दल के रूप में मान्यता दी गयी थी द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को छूट के बारे में कहता है। इस प्रकार, यह इनका स्पष्ट कथन है कि इस प्रकार की छूट केवल संसदीय तथा राज्य विधानसभा निर्वाचनों के प्रयोजन हेतु हो सकता है तथा न कि प्रश्नगत निर्वाचन हेतु।

8. विद्वान अपन महा सालीसिटर ने निवेदन किया है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्यर्थी 1 को अपने संसूचना दिनांक 18-07-2023 में निर्देश कि यह 1968 आदेश के पैरा 10 में रियायत का लाभ उठा सकता है न तो प्रत्यर्थी 1 को कोई अधिकार दे सकता है न ही लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन प्राधिकरण को प्रत्यर्थी 1 के अनुरोध को अनुमति देने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में किया गया है। अपीलकर्ता सं0 1 के विधि विभाग के राय के ध्यान में रखते हुए, जैसा जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट), कारगिल द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र को संसूचना दिनांक 12-07-2023 में उत्कथित है, यह अधिक से अधिक मात्र परामर्श था लेकिन बाध्यकारी नही क्योंकि इस प्रकार के अनुरोध पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने का काम लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन प्राधिकरण का है।

9. इन्होंने निवेदन किया है कि उम्मीदवारगण जिन्होंने अपना नामांकन प्रपत्र भरा है तथा प्रस्तुत किया है में से किसी ने हल निशान की मांग नही किया है या सुसंगत कालम में बताया है कि ये लोग प्रत्यर्थी 1 के उम्मीदवार है तथा इस एकमात्र विषय पर, इस प्रक्रम पर प्रत्यर्थी 1 इस न्यायालय द्वारा किसी अनुग्रह का हकदार नही था।

10. इन्होंने यह कहते हुए अपने तर्कों को सार संक्षेपित किया है कि अभी-

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01-09-2023 को त्वरित संदर्भ हेतु उत्कथित किया जाता है: - पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन को नामंजूर किया जाता है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

निर्णय सुरक्षित ।

06-09-2023 को निर्णय सुनाये जने हेतु मामले को सूचीबद्ध किया जाय,

निर्वाचन की प्रक्रिया को पहले ही गतिमान किया गया था। विद्वान अपर महा सालीसिटर ने बताया कि नामांकन प्रपत्र का दाखिल किया जाना 16-08-2023 से आरंभ हो चुका था तथा उपांतिम प्रक्रम पर पहुँच गया था क्योंकि नामांकनों को वापस लेने की अंतिम तिथि (26-08-2025) पहले ही बीत चुका था। यह कहा गया है कि अब मात्र मतदान 10-09-2023 को सम्पन्न होना शेष है तथा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश को अपास्त कर सकता है।

<u>प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा निवेदन:</u>

11. प्रत्यर्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति का आदेश दिनांक 09-08-2023 तथा विद्वान खण्डपीठ का आदेश दिनांक 14-08-2023 स्वतः प्रमाण है तथा अपीलकर्तागण के तर्कों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है एवं इसे अकाट्य विधिक एवं तथ्यात्मक आधारों पर नकारा गया है। यह निवेदन किया गया है कि सर्वप्रथम इस कारण हल निशान देने में अपीलकर्तागण के पास कोई विवाद्यक नही होना चाहिए था कि प्रत्यर्थी 1 एलएएचडीसी में आवश्यक सत्तारूढ़ दल है, तथा हल निशान का हकदार है, चूँकि यह न तो स्वतंत्र निशानों की सूची का भाग था न ही भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय या राज्य के दल को आवंटित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ने से इंकार करने के परोक्ष कारण हेतु इनके वरीय निशान (हल) से इंकार करने में अपीलकर्तागण द्वारा पूर्णतया पक्षपातपूर्ण तथा मनमाना दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह आगे निवेदन किया गया है कि हल निशान दशकों से अनन्य रूप से प्रत्यर्थी 1 से संबद्ध होने के नाते निर्वाचक मण्डल को भलीभांति ज्ञात था, इसका प्रत्याख्यान स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव कारित करने के लिए आशयित है। यह कहा गया है कि अनुचित लाभ एलएएचडीसी निर्वाचनों में लड़ने वाले बाकी उम्मीदवारों/दलों को प्राप्त होगा।

12. इन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा नामांकनों के दाखिल किये जाने के आरंभ होने के पहले ही निदेशों को पारित किये जाने के बावजूद, जिसे विद्वान खण्डपीठ द्वारा अभिपुष्ट किया गया है जो पुनः नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के पहले था तथा विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष अवमान मामला लंबित होने के बावजूद, जिसे वर्तमान अपील के लंबित रहने को उद्धृत करते

हुए अपीलकर्तागण द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थगित किया गया था, अपीलकर्तागण ने उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया था। इस पृष्ठभूमि में, विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि इस न्यायालय के समक्ष यह आधार लेना कि अब समय बीत जाने के कारण, प्रत्यर्थी 1 को अनुतोष नही दिया जा सकता है, स्पष्ट बेईमानीपूर्ण आचरण है। यह निवेदन किया गया है कि यह न्यायालय न्यायपूर्ण उद्देश्य को मात्र अन्य पक्ष द्वारा किये गये विलम्ब के कारण विफल नहीं होने दिया जायेगा तथा अपीलकर्तागण स्वयं द्वारा कारित इस प्रकार के विलम्ब का लाभ नही ले सकता है जो प्रत्यर्थी 1 के सद्भाविक, विधि सम्मत तथा वास्तविक दावा के लिए हानिकारक है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्तागण द्वारा राष्ट्रीय दलों को निशानों का आवंटन तथा वर्तमान चुनावों के लिए अधिसूचना में प्रदर्शित स्वतंत्र निशानों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि यह 1968 आदेश के अनुरूप है। इस प्रकार, इन्होंने निवेदन किया है कि, अपीलकर्तागण को ढुलमुल होने से प्रवारित किया गया है कि इन्हें छांट-छांट कर अपने सनक तथा मनमौज के अनुसार यह विनिश्चय करने की अनुमति नही दी जा सकती है तथा नही देनी चाहिए कि 1968 आदेश के अन्तर्गत कौन सा प्रावधान लागू होगा तथा कौन सा प्रावधान लागू नही होगा। यह निवेदन किया गया है कि 1968 आदेश के पैरा 9, 10, 10(क) तथा 12 के सामंजस्यपूर्ण पठन से संदेह से परे यह संकेत मिलता है कि प्रतिकूल किसी बात के अभाव में, अपीलकर्तागण को पूर्णतया 1968 आदेश द्वारा मार्गदर्शन किया जाना आवश्यक था, जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्यर्थी 1 को लिखे पत्र में संकेत था तथा उपर्युक्त विचार विधि विभाग द्वारा अपीलकर्तागण को अपने विधिक राय में ग्रहण किया गया था।

<u>विश्लेषण, तार्किकता तथा निष्कर्ष :</u>

14. 1968 आदेश का संसुगत पैरा, जिसके संबंध में ध्यान विद्वान अपर महा सालीसिटर तथा प्रत्यर्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आकृष्ट किया गया है, को नीचे वर्णित किया जाता है:

> ***"9 उन राज्यों में राज्य के दलों के लिए आरक्षित निशानों के आवंटन पर रोक जहाँ इस प्रकार के दल मान्यता प्राप्त नही है -*** *किसी राज्य में राज्य के दल हेतु आरक्षित निशान-*
>
> *(क) किसी अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए स्वतंत्र निशानों के सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, तथा*
>
> *(ख) किसी अन्य दल के लिए आरक्षित नही किया जायेगा जो तत्पश्चात किसी अन्य राज्य में राज्य के दल के रूप में मान्यता हेतु पैरा 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर योग्य हो जाता है:*
>
> *परन्तु खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस राजनैतिक दल के संबंध में लागू होगा, जिसके लिए आयोग ने चुनाव निशान (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 1997 के आरंभ होने के तत्काल पहले ही इस निशान को आरक्षित किया है जिसे इसने किसी अन्य राज्य या राज्यों में किसी अन्य राज्य के दल या दलों के लिए आरक्षित किया है।*
>
> ***10. अन्य राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों में चुनावों में राज्य के दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को रियायत-*** *यदि राजनैतिक दल जो कुछ राज्य या राज्यों में राज्य के दल के रूप*

में मान्यता प्राप्त है, किसी अन्य राज्य में जिसमें यह मान्यता प्राप्त राज्य का दल नही है निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है, तब इस प्रकार के उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सभी अन्य उम्मीदवारों के अपवर्जन के संबंध में उस राज्य या राज्यों में उस दल के लिए आरक्षित निशान का आवंटन किया जा सकता है जिसमें यह इस बात के होते हुए भी मान्यता प्राप्त राज्य का दल है कि इस प्रकार का निशान प्रत्येक निम्न शर्तों के पूरा करने पर इस प्रकार के अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए स्वतंत्र निशानों की सूची में विनिर्दिष्ट नही है, अर्थातः-

(क) यह कि चुनाव की घोषणा करते हुए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीन दिन के पश्चात से अनधिक इसके द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों के उस निशान के अनन्य आवंटन हेतु उक्त दल द्वारा आयोग को आवेदन किया जाता है:-

(ख) यह कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन प्रपत्र में घोषणा किया है कि इसे चुनाव में उस दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा यह कि दल ने इस प्रकार के उम्मीदवार के संबंध में पैरा 13 के खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) सपठित पैरा 13 के शर्तों को पूरा किया है, तथा

(ग) यह कि आयोग के राय में इस प्रकार के आवंटन हेतु आवेदन को अस्वीकार करने के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं है, परन्तु इस पैरा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस राज्य में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में राज्य के दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार के संबंध में लागू नही होगी जिसमें वह दल राज्य का दल नही है तथा जहाँ उपर्युक्त निशान को पहले ही उस राज्य में किसी अन्य राज्य के दल हेतु आरक्षित किया गया है।

10क. उस गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवारों को रियासत जिसे पहले राष्ट्रीय या राज्य के दल के रूप में मान्यता दी गई थी- *यदि राजनैतिक दल, जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन चुनाव के अधिसूचना की तिथि से छह वर्ष से पहले नही किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य का दल है, किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है चाहे इस प्रकार क दल पहले उस राज्य का संघ शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त पाया नहीं, तब इस प्रकार के उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सभी अन्य उम्मीदवारों के अपवर्जन में इस बात के होते हुए भी उस दल हेतु पहले आरक्षित निशान आवंटित किया जा सकता है जब यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य का दल था कि इस प्रकार का निशान प्रत्येक निम्न शर्तों को पूरा करने पर इस प्रकार के राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए स्वतंत्र निशानों की सूची में विनिदिष्ट नही है, अर्थाति -*

(क) यह कि चुनाव की घोषणा करते हुए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीन दिन से अनाधिक स्वयं द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार को उस निशान के अनन्य आवंटन हेतु उक्त दल द्वारा आयोग को आवेदन किया जाता है;

(ख) यह कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा किया है कि इसे चुनाव में उस दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा यह कि दल ने इस प्रकार के उम्मीदवार के संबंध में पैरा 13 के खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) सपठित पैरा 13क के शर्तों को पूरा किया है, तथा

(ग) यह कि आयोग के राय में इस प्रकार के आवंटन हेतु आवेदन को अस्वीकार के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं हैः

परन्तु इस पैरा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस राज्य में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में उक्त दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार के संबंध में लागू नही होगा, जिसमें व दल राज्य का दल नही है तथा जहाँ उपर्युक्त निशान को पहले ही उस राज्य में किसी अन्य राज्य के दल हेतु आरक्षित किया गया है।

X X X

12. अन्य उम्मीदवारों द्वारा निशानों का चुनाव तथा इसका आवंटन- *(1) किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में कोई उम्मीदवार-*

(क) राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार से भिन्न या

(ख) उस राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार से भिन्न जो उस राज्य में राज्य का दल है; या

(ग) पैरा 10 या पैरा 10क में निर्दिष्ट उम्मीदवार से भिन्न उम्मीदवार पैरा 17 के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए स्वतंत्र निशानों के रूप में विनिर्दिष्ट निशानों में से एक का चुनाव करेगा तथा इस पैरा में एत्स्मिनपश्चात वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

(2) जहाँ इस प्रकार के चुनाव में मात्र एक उम्मीदवार द्वारा किसी मुक्त प्रतीक को चुना गया है, रिटर्निंग आफीसर इस प्रकार के प्रतीक को उस उम्मीदवार को आवंटित करेगा किसी और को नहीं।

(3) जहाँ एक ही मुक्त प्रतीक इस प्रकार के चुनाव में कई उम्मीदवारों द्वारा चुना गया है, तब -

(क) यदि उन कई उम्मीदवारों में से, मात्र एक गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार है तथा बाकी सभी स्वतंत्र उम्मीदवार है, रिटर्निंग आफीसर गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये गये उम्मीदवार को उस मुक्त प्रतीक को आवंटित करेगा तथा किसी अन्य को नहीं, तथा यदि उन कई उम्मीदवारों में से, दो या अधिक को भिन्न गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़ा किया जाता है तथा बाकी स्वतंत्र उम्मीदवार गण है, रिटर्निंग आफीसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि भिन्न गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़ा किये गये किन दो या अधिक उम्मीदवारों को वह मुक्त प्रतीक आवंटित किया जायेगा तथा उस उम्मीदवार को वह मुक्त प्रतीक आवंटित करता है जिस पर लाट आता है किसी और को नहीं:

परन्तु जहाँ दो या अधिक इस प्रकार के उम्मीदवारों को इस प्रकार के भिन्न अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़ा किया जाता है, मात्र एक इस प्रकार के चुनाव के ठीक पहले लोक सभा या जैसी भी स्थिति हो, विधान सभा का आसीन सदस्य है या था (इस तथ्य को दृष्टि में लाये बिना कि क्या पूर्व चुनाव में इसे वह मुक्त प्रतीक या कोई अन्य प्रतीक आवंटित किया गया था जब इसे इस प्रकार का सदस्य चुना गया था), रिटर्निंग आफीसर उस मुक्त प्रतीक को उस उम्मीदवार को आवंटित करेगा तथा किसी और को नहीं;

(ख) यदि, उन कई उम्मीदवारों में से, किसी अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल तथा सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा किसी को खड़ा नही किया जाता है, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों में से एक इस प्रकार के चुनाव के ठीक पहले लोकसभा या जैसी भी स्थिति हो, विधानसभा का आसीन

सदस्य है या था तथा पहले के चुनाव में उस मुक्त प्रतीक को आवंटित किया गया था जब इसे इस प्रकार का सदस्य चुना गया था, रिटर्निंग आफीसर उस उम्मीदवार को उस मुक्त प्रतीक को आवंटित करेगा और किसी अन्य को नहीं; तथा

(ग) यदि, उन कई उम्मीदवारों में से, जिसमें सभी स्वतंत्र उम्मीदवार है, एक पूर्वोक्त के रूप में आसीन सदस्य है या था, रिटर्निंग आफीसर लाट द्वारा विनिश्चिय करेगा कि किस उन स्वतंत्र उम्मीदवारों को इस मुक्त प्रतीक को आवंटित किया जायेगा तथा उस मुक्त प्रतीक को उन उम्मीदवारों को आवंटित करता है जिस पर लाट आता है और किसी को नहीं।''

15. लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 12 तथा 13 (इसने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1995 (राष्ट्रपति का अधिनियम सं0 1 वर्ष 1995) को निरसित किया था (एतस्मिन् पश्चात ''1997 अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) निम्नवत् पठित हैः

''12 चुनावों से संबंधित विवाद- *(1) किसी निर्वाचन पर इस रीति से जैसा विहित किया जाय तथा इस प्रकार के प्राधिकारी के समक्ष जैसा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय प्रस्तुत निर्वाचन अर्जी के सिवाय आपत्ति नही की जायेगी:*

परन्तु जिला जज के पंक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजन हेतु नियुक्त नही किया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचन पर आपत्ति किसी एक या अधिक निम्न आधारों के सिवाय नही की जाएगी, अर्थात:-

(क) यह कि इसके निर्वाचन के तिथि को निर्वाचित उम्मीदवार परिषद में स्थान को भरने के लिए चुने जाने योग्य नहीं था या अयोग्य था;

(ख) यह कि भ्रष्ट आचरण निर्वाचित उम्मीदवार या इसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या इसके निर्वाचन अभिकर्ता के सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।

स्पष्टीकरणः- *इस धारा के प्रयोजन हेतु ''भ्रष्ट आचरण'' जम्मू एवं कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 132 में विनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण से अभिप्रेत होगा;*

(ग) यह कि किसी नामांकन को अनुचित तरीके से नामंजूर किया गया है;

(घ) यह कि निर्वाचन का परिणाम जहाँ तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है-

(i) किसी नामांकन के किसी अनुचित स्वीकृति द्वारा; या

(ii) अपने निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा; या

(iii) किसी मत के अनुचित अंगीकार, इंकार का नामंजूरी द्वारा; या

(iv) किसी मत के अंगीकार द्वारा जो शून्य है, या

(v) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत किये गये आदेशों या किसी नियमों के प्रावधानों के किसी अननुपालन द्वारा ।

(3) निर्वाचन अर्जी के विचारण के समाप्ति पर उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी आदेश करेगा-

(क) निर्वाचन अर्जी खारिज करने का; या

(ख) सभी या किन्हीं निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का; या

(ग) सभी का किन्हीं निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का तथा याची या किसी अन्य उम्मीदवारों के सम्यक् निर्वाचित होने का।

(4) यदि याची निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अतिरिक्त यह घोषणा करता है कि इसे स्वयं का किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् निर्वाचित किया गया है तथा उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिकारी की राय है कि -

(क) वास्तव में याची या इस प्रकार के अन्य उम्मीदवार ने वैध बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) यदि ऐसा न होता तो भ्रष्ट आचरण द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत याची या इस प्रकार के अन्य उम्मीदवार ने वैध बहुमत प्राप्त किया होता;

अधिकारी पूर्वोक्तानुसर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किये जाने के पश्चात याची तथा इस प्रकार के अन्य उम्मीदवार, जैसी भी स्थिति हो, सम्यक् निर्वाचित किया गया घोषित करेगा।

13. निर्वाचन संबंधी विवादों हेतु प्रक्रिया- *वादों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977 में उपबंधित प्रक्रिया का पालन धारा 12 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा जहाँ तक यह इस अधिनियम के अन्तर्गत विचारण तथा निर्वाचन अर्जी के निपटारे में लागू हो सकता है।''*

16. यह दोहराने की आवश्यकता नही है कि संविधान के अन्तर्गत निहित इस न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को हमारे संविधान के बुनियादी ढाँचा का भाग होने के नाते न्यून, अपवर्जित या छीना नहीं जा सकता है। ***संत केशवानंद भारती श्रीपदगलवरू बनाम केरल राज्य*** **(1973) 4एससीसी 225;** ***इन्दिरा नेहरू गाँधी बनाम राजनारायण,*** **1975 अनुपूरक एससीसी 1;** ***मिनवरा मिल्स लि0 बनाम भारत संघ*** **(1980) 3 एससीसी 625;** ***एल चन्द्रकुमार बनाम भारत संघ,*** **(1997) 3 एससीसी 261** ***में तथा और हालिया में कल्पना मेहता बनाम भारत संघ (2018) 7एससीसी 1 तथा रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड*** **(2020) 6 एससीसी 1** के निर्णयों के संबंध में निर्देश किये जाने की आवश्यकता है, इसमें सभी को 5 या अधिक विद्वान न्यायमूर्तिगण के पीठ द्वारा दिया गया था। 1997 अधिनियम की धारा 12 हमें निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक 1997 अधिनियम की धारा 13 का संबंध है, यह अब भी सुस्थापित है कि वैकल्पिक प्रभावी उपचार की उपलब्धता विभिन्न निर्णयों के आलोक में उच्च परमाधिकार रिट अधिकारिता के प्रयोग के संबंध में वर्जन नही है, जिसमें ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुहम्मद नूह, 1958 एससीआर 595; मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि0 बनाम जहाँ खाॅन (2007) 10 एससीसी 88; महाराष्ट्र शतरंज संघ बनाम भारत संघ*** **(2020) 13 एससीसी 285** शामिल है लेकिन तक सीमित नही है***। राधा कृष्णन इण्डस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*** **(2021) 6एससीसी 771** के निहाई पर भी, 1997 अधिनियम की धारा 13 संवैधानिक न्यायालय को आगे अग्रसर होने से रोकता नहीं है तथा रोक नही सकता है। हम इस बिन्दु पर साबित प्रमाणों को बढ़ाना नही चाहते हैं लेकिन ऊपर परिगणित सूची में बिल्कुल हालिया ***गोदरेज सारा ली लि0 बनाम उत्पाद एवं कराधान अधिकारी सह-निर्धारण प्राधिकारी,*** **2023 एससीसी आनलाइन एससी 95** को जोड़ना चाहेंगें।

17. आरंभ में, यह उल्लेखनीय है कि भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधान सभाओं तथा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के संचालन को निपटाता है। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के पास वर्तमान में विधान सभा नही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम चुनाव वर्ष 2019 में सम्पन्न हुआ था । यह कहा गया कि पहली बार पहली बार होता है। विधि विभाग द्वारा विधिक राय आन्तरिक परामर्श होता है तथा एक मात्र परामर्श एवं इस प्रकार विद्वान अपर महा सालीसिटर यह तर्क देने में सही है कि यह प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में कोई अधिकार सृजित/प्रदान नही करेगा। **महादेव बनाम सोवन देवी, 2022 एससीसी आनलाइन एससी 1118** (जहाँ हमसे से एक, विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति कोरम का हिस्सा थे), न्यायालय ने विभिन्न निर्णयज विधियों पर विचार करने के पश्चात् अभिनिर्धारित किया कि ''यह सुस्थापित है कि अन्तर विभागीय संसूचनाएँ समुचित निर्णय हेतु विचार के प्रक्रिया में है तथा किसी अधिकार का दावा करने के लिए आधार के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है.....''

18. ***कल्पना मेहता (ऊपर)*** में, मा0 दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश जिससे विद्वान न्यायमूर्तिगण सहमत थे, कहा:

''40. *न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। न्यायालय के पास इस प्रकार के सीमाओं के उल्लंघन तथा शक्ति के सीमाओं की छान-बीन का न्याय निर्णायक प्राधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रकृति तथा व्याप्ति को सार संक्षेप में इस प्रकार आर.एस. पाठक द्वारा भारत संघ बनाम रघुवीर सिंह (भारत संघ बनाम रघुवीर सिंह, (1989) 2 एससीसी 754) में कहा गया है: (एससीसी पे 766, पैरा 7)*

''7. ....भारत के वरिष्ठ न्यायपालिका में मान्य न्यायिक पुनर्विलोकन की पहुँच कदाचित सबसे अधिक व्यापक तथा विधि के संसार में ज्ञात सबसे अधिक विस्तृत है..... न्यायिक शक्ति के इस प्रभावशाली विस्तार के साथ यह एक मात्र अधिकार है कि भारत में वरिष्ठ न्यायालयों को अत्यधिक दायित्व के बारे में सजग होना चाहिए जो इन लोगों पर होता है। यह विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सत्य है, क्योंकि सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली में सबसे बड़ा न्यायालय होने के नाते इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा घोषित विधि भारत के भूभाग में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।''

और पुनः (एससीसी पे0 767, पैरा 11)

''11. विधिक बाध्यताओं को वर्तमान विधिक प्रतिपादनाओं द्वारा सीमित नही किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक छानबीन तथा न्यायिक चुनाव करने को आमंत्रित करते हुए नये क्षेत्र वर्तमान विधि के सीमाओं से हमेशा परे होगा जो वर्तमान विधिक सिद्धांत के वैधता को भलीभांति प्रभावित कर सकता है। बदले हुए सामाजिक काल के अनुकूल समाधान हेतु तलाश में न केवल विधि के प्रतिस्पर्धी प्रतिपादनाओं या विधिक प्रतिपादना की प्रतिस्पर्धाी व्याख्या या अनिर्धार्यता की रूपात्मकता जैसे ''निष्पक्षता'' या ''युक्ति युक्तता'' की तलाश शामिल है बल्कि नये मानकों में न्याय देने के लिए सुसंगत वर्तमान समय तथा स्थान के आनुभविक ज्ञान या स्वीकृत मूल्यों के अनुरूप विनिर्णय विधि के बाहर से प्रतिपादनाओं की तलाश शामिल है।''

पूर्वोक्त दोनों परिच्छेद वर्तमान के स्वीकृत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शक्ति के प्रयोग के संबंध में न्यायालय पर अत्यधिक उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है। सुघटित लिखत

न्यायालय से संविधान के आत्मा से शक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। संविधान का प्रेरित करने वाला तत्व मूल्यों को साकार करने का आदेश देता है। निर्वचनात्मक प्रक्रिया का आकांक्षी गतिवाद भी इसकी अपेक्षा करता है।

41. इस न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनी प्रावधानों का निर्वचन करने की संवैधानिक शक्ति तथा अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रदान किये जाने में अत्यधिक पवित्रता है क्योंकि संवैधानिक न्यायालय के पास किसी विधि को असंवैधानिक के रूप में घोषित करने की शक्ति है यदि विधान के क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल के सक्षमता का अभाव है जैसा संविधान में उपबंधित है या यदि प्रावधान किन्हीं मौलिक अधिकारों या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है या विरुद्ध होता है या यदि प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है।

42. जब हम न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बोलते हैं, न्यायिक अवरोध के अवधारणा को जानना भी आवश्यक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का कर्तव्य जिसे संविधान ने न्यायपालिका को प्रदान किया है मुक्त नही है, यह न्यायिक अवरोध के संकल्पना में आता है। न्यायिक अवरोध का सिद्धांत अपेक्षा करता है कि जजों को शक्ति के अपने परिभाषित सीमाओं में रहते हुए मामलों का विनिश्चय करना चाहिए। जजों से संविधान द्वारा अधिकथित सीमाओं के अनुसार संविधान के किसी प्रावधान या किसी विधि का निवर्चन करने की अपेक्षा की जाती है।

43. एस.सी. चन्द्र बनाम झारखण्ड राज्य (एस.सी. चन्द्र बनाम झारखण्ड राज्य (2007) 8 एससीसी 279: (2007) 2 एससीसी (एलएवंएस) 897) में, यह निर्णीत किया गया है कि न्यायपालिका को आत्म सयंम का प्रयोग करना चाहिए तथा सामान्यतया विधायी अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नही करना चाहिए। इस संबंध में, सुरेश सेठ बनाम इंदौर नगर निगम (सुरेश सेठ बनाम इंदौर नगर निगम (2005) 13 एससीसी 287) में तीन न्यायमूर्तिगण के पीठ के निर्णय का निर्देश पूर्णतया शिक्षाप्रद है। उक्त मामले में, म0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1956 में समुचित संशोधन हेतु निदेशों को जारी करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया गया था। निवेदन को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह विशुद्ध रूप से पालिसी का मामला है जो विनिश्चय करने के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए है तथा इस संबंध में न्यायालय द्वारा निदेश जारी नही किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि किसी विशेष प्रकर का अधिनियमिति बनाने के लिए विधानमण्डल को यह न्यायालय निदेश जारी नही कर सकता है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने अनिनिर्धारित किया कि हमारे संवैधानिक स्कीम में, संसद तथा विधानसभाएँ विधि को अधिनियमित करने के लिए संप्रभुशक्ति का प्रयोग करती है तथा विशेष प्रकार का विधान अधिनियमित करने के लिए कोई बाहरी शक्ति या प्राधिकारी निदेश जारी नही कर सकता है। इस प्रकार धारित करते हुए, न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ (1989) 4 एससीसी 187: 1989 एससीसी (एलएवंएस) 569) में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय विशेष विधि अधिनियिमत करने के लिए विधानमण्डल को निदेश नही दे सकता है तथा इसी प्रकार जब कार्यपालक प्राधिकारी विधान मण्डल के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसरण में अधीनस्थ विधायन द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, इस प्रकार के कार्यपालक प्राधिकारी

से विधि अधिनियमित करने के लिए नही कहा जा सकता है जिसे इसे प्रत्यायोजित प्राधिकार के अन्तर्गत करने के लिए सशक्त किया गया है।

44. हाल में, जनगणना आयुक्त बनाम आर. कृष्णामूर्ति (जनगणना आयुक्त बनाम कृष्णामूर्ति (2015) 2 एससीसी 796: (2015) 1 एससीसी (एलएवंएस) 589) में इस न्यायालय ने प्रीमियम ग्रेनाइट बनाम तमिलनाडु राज्य (प्रीमियम ग्रेनाइट बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) 2 एससीसी 691), म0प्र0 तेल निष्कर्षण बनाम म0प्र0 राज्य (म0प्र0 तेल निष्कर्षण बनाम म0प्र0 राज्य (1997) 7 एससीसी 592), म0प्र0 राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आन्दोलन (म0प्र0 राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आन्दोलन (2011) 7 एससीसी 639: (2011) 3 एससीसी (सिव) 875) तथा पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा (पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा (1998) 4 एससीसी 117: 1998 एससीसी (एल एवं एस) 1021) को निर्दिष्ट करने के पश्चात अभिनिर्धारित किया: (आर0 कृष्णामूर्ति मामला (जनगणना आयुक्त बनाम आर0 कृष्णामूर्ति, (2015) 2 एससीसी 796 (2015) 1 एससीसी (एल एवं एस) 589) एससीसी बे0 809, पैरा 33)

"33. विधि के पूर्वोक्त निर्णय से, यह मध्याह्न की भांति स्पष्ट है कि यह जाँच आरंभ करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही है कि क्या विशेष लोक नीति विवेकपूर्ण तथा स्वीकार्य है या क्या बेहतर नीति को विकसित किया जा सकता है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि विरचित नीति पूर्णतया मनमौजी है या कारणों द्वारा अनुप्राणित नही है या पूर्णतया मनमाना है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के मूलभूत शर्त का उल्लंघन करते हुए स्वयं कहे पर आधारित है। कतिपय मामलो में, जैसा प्रायः कहा गया है कि कई राय हो सकती है लेकिन न्यायालय से राय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठने की अपेक्षा नही की जाती है।"

45. इस समय पर, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना उपयुक्त समझता हूँ कि न्यायिक अवरोध इस प्रकार का नही हो सकता है तथा नही होना चाहिए जिसे यह न्यायिक अधित्याग तथा न्यायिक निष्क्रिया के तुल्य हो। न्यायपालिका इस पवित्र कर्तव्य का अधित्याग नही कर सकता है जिसे संविधान ने संविधान के भाग-।।। के अन्तर्गत प्रत्याभूत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का भार इसके कंधों पर रखा है। संवैधानिक न्यायालय इस विस्मृति में पड़ा नही रह सकता है जब व्यक्तियों का मौलिक अधिकार खतरे में हो। हमारे संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के अवैध घुसपैठ के विरुद्ध रक्षक के रूप में कार्य करना माना है। संविधान ने अपने तत्वावधान में, संवैधानिक न्यायालयों को व्यापक शक्तियों से सुसज्जित किया है जिसका प्रयोग न्यायालयों को लेशमात्र भी हिचकिचाहट या आशंका के बिना करना चाहिए, जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को जोखिम हो। उक्त पहलू पर स्पष्ट करते हुए, इस न्यायालय ने वीरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य (वीरेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य, एआईआर 1954 एससी 447) में संप्रेक्षित किया है: (एआईआर पे0 454, पैरा 34)

"34. संविधान का सम्पूर्ण कवच तथा इसके रक्षा करने वाले प्रावधानों के कवच को पहनते हुए तथा इसके प्रेरणा के प्रदीप्त तलवार का तड़क भड़क करते हुए अपने प्रबुद्ध तरीके से यहाँ से चलना हमारे ऊपर है।"

46. मौलिक अधिकारों का निर्वचन करते समय, संवैधानिक न्यायालयों को यह याद रखना चाहिए कि जब कभी अवसर पैदा होता है, न्यायालयों को जीवंत भावना तथा जोश को अनुप्राणित करने के उद्देश्य से उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है जिससे मौलिक अधिकारों को

हानि न पहुँचे। जब हम ऐसा करते हैं, यह नही समझा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का निर्वचन करते समय संवैधानिक न्यायालयों को पूर्णतया पूर्व निर्णयों के सिद्धांत से अलग होना चाहिए बल्कि संवैधानिक न्यायालय संविधान द्वारा प्रदान किये गये व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उत्साही तरीके से रक्षा करने के लिए तरकस लिये संतरी की भांति कार्य करने के लिए बाध्य है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के कर्तव्य को उपयुक्त तरीके से के.एस. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ (के.एस. श्रीनिवासन बनाम भारत संघ, एआईआर 1958 एससी 419) में वर्णित किया गया है जिसमें यह कहा गया है, (एआईआर पे. 433, पेरा 50)

"50. सब कुछ मैं देख सकता हूँ एक व्यक्ति जो पथभ्रष्ट रहा है तथा मैं स्पष्ट बाहर जाने का रास्ता देख सकता हूँ। मैं इसे ले जाऊँगा।"

47. इस प्रकार का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 32 के मामले में और उत्साह के साथ लागू होता है जिसे डा. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा "संविधान के असली आत्मा - इसके असली हृदय- सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद" के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 32 विशेष प्रस्थिति का उपयोग करता है तथा इसलिए अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत मामलों में प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाना इस न्यायालय के लिए आवश्यक है। यह संविधान के अन्तर्गत इस न्यायालय के कर्तव्य के अनुरूप होगा, अर्थात, व्यक्तियों के अन्य असंक्राम्य मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना।"

(बल दिया गया)

19. पूर्वाक्त संप्रेक्षण उस विधिमान्यता में पूर्ण समसायिक है जो संवैधानिक न्यायालयों से अपेक्षित है। यह मात्र संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 तक सीमित नही है बल्कि बहुत साधारण ताबीज अधिकथित करता है।

20. विद्वान अपर महासालीसिटर ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलकर्तागण स्वतंत्र निर्णय लेने के हकदार थे। यह विद्वान खण्डपीठ के समक्ष इसके कथन के विरुद्ध जाता है। यदि हम इससे सहमत होते हैं, तत्पश्चात स्पष्ट आशय यह होगा कि अपीलकर्तागण द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेना आवश्यक था। जैसा आक्षेपित निर्णय के पैरा 5 तथा 11 में उल्लिखित है, अपीलकर्तागण ने तर्क दिया है कि भारत का निर्वाचन आयोग प्रतीकों को आबंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण था तथा न कि निर्वाचन प्राधिकारी। तब अपीलकर्तागण द्वारा कथन बदलने का क्या कारण था? जब आक्षेपित निर्णय के पैरा 13 में निष्कर्ष के साथ पढ़ा जाता है अपीलकर्तागण का कार्य हमारे मस्तिष्क में लेशमात्र भी संदेह नही छोड़ता है कि मध्यस्थता करने के लिए इस न्यायालय को मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ पैदा हुई है। फिर भी, आइए पलभर के लिए हम विचार करते हैं कि अपीलकर्तागण, जैसा अब प्रक्षेपित किया जाना ईप्सित है, स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र थे। फिर भी, इस प्रकार का निर्णय बेतुका, मनमाना या मनमौजी नही हो सकता है। इसे आवश्यक रूप से होना होगा: (क) विधिपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार; (ख) युक्तियुक्त, तथा; (ग) साम्यापूर्ण तथा न्यायपूर्ण। न्यायालय यह संकेत करेगा कि विद्यमान तथ्यों में वास्तविक अनुरोध को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता था कि इसके लिए कोई प्रावधान नही था, कब इस प्रकार के अनुरोध को माना जा सकता है (i) विधि के किसी उल्लंघन के बिना तथा; (ii) संबंधित प्राधिकारी के अधिकारिता

प्राप्त अधिकार क्षेत्र तथा क्षमता में हैं तथा; (iii) किसी अन्य पणधारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालता है तथा; (iv) जनहित के विरुद्ध नही होता है।

21. उच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, कल्पना के किसी विस्तार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत वर्तमान मामले में स्वयं द्वारा जारी प्रकृति के निदेश को जारी करने से प्रवारित नही है, इसके अलावा जब इस प्रकार का निदेश किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नही करता है। त्रिपुरा ***उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी (2019) 16 एससीसी 663*** मे, इस न्यायालय ने विरल तथा आपवादिक स्थिति में कार्यवाही हेतु निदेश देने के लिए अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में स्वीकारात्मक उत्तर दिया था, जो संबंधित प्रावधानों में उल्लिखित नही है। ***ऐश मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य, 2023 एससीसी आनलाइन एससी 736*** में त्रिपुरा उच्च न्यायालय पर भरोसा करते हुए तथा ध्यान देते हुए, हम अभिनिर्धारित करते हैं:

> *"24. इसके अलावा, विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) ने प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही पाया था फिर भी इसके उन्मार्जन हेतु अपीलकर्ता को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दिया था। विद्वान सिविल न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि किया था कि इसके पास पंजाब पुलिस नियमावली-1934 में इस प्रकार के किसी प्रावधान के अभाव में ऐसा करने की शक्ति थी।* ***ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अपने संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन उच्च न्यायालय विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अभाव में भी, प्रत्यावेदन पर नये सिरे से विचार करने हेतु विशेष रूप से निदेश दे सकता है।*** *त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, (2019) 16 एससीसी 663 में, प्रश्न जो उठा था यह था कि क्या, कानूनी प्रावधान के अभाव में, रिट याची परीक्षा उत्तर पाण्डुलिपियों के पुर्नमूल्यांकन की मांग कर सकता है? उत्तर देते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:*
>
> > *"20. फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या भले ही अधिकार के रूप में पुर्नमूल्यांकन की मांग करने का विधिक अधिकार नही है ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है जो न्यायालय को पूर्णतया किसी संदेह में छोड़ती है।* ***कतिपय परिस्थितियों में रिट आवेदक के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है।*** *मामला पैदा हो सकता है जहाँ यद्यपि पुर्नमूल्यांकन हेतु प्रावधान नही है यह पाया जाता है कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिया गया है। निःसंदेह यह उस मामले तक सीमित होना चाहिए जहाँ उत्तर के विशुद्धता के बारे में कोई विवाद नही है। आगे, यदि कोई संदेह है, संदेह का समाधान अभ्यर्थी के पक्ष के बजाय परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए।* ***अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत व्यापक शक्ति लगातार उपलब्ध हो सकता है यद्यपि ऐसी स्थिति में पुर्नमूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान नही है*** *जहाँ अभ्यर्थी सही उत्तर देने के बावजूद तथा जिसके बारे में रंचमात्र भी संदेह नही हो सकता है, इसे गलत उत्तर दिये गये के रूप में माना जाता है तथा परिणामस्वरूप अभ्यर्थी को किसी अंकों के अधिकार से वंचित पाया जाता है।*

21. ***क्या दूसरी परिस्थिति की रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्या रिट न्यायालय शक्ति के विशाल भण्डार के बावजूद असहाय हो सकता है जिसे यह रखता है?*** *यह कहना एक बात है कि पुर्नमूल्यांकन हेतु प्रावधान का अभाव उम्मीदवार को अधिकारतः मूल्यांकन के अधिकार का दावा करने में सक्षम नही बनायेगा तथा यह कहना दूसरी बात है कि किसी भी परिस्थिति में जो भी हो जहाँ पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नही है रिट न्यायालय अपने असंदिग्ध संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग नही करेगा?* ***हम दोहराते है कि स्थिति मात्र विरल तथा आपवादिक हो सकता है।''***

(बल दिया गया)''

(हमारे द्वारा मोटे अक्षर द्वारा बल दिया गया)

22. किसी कार्यालय/निकाय का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी होना आवश्यक है। निर्वाचन लोकतंत्र के हृदय में रहता है। इस प्रकार का निर्वाचन कराने/संचालित करने हेतु विधि द्वारा सौपा गया प्राधिकार किसी बाहरी प्रभाव/विचार से पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है कि लद्दाख संघ शासित क्षेत्र ने न केवल प्रत्यर्थी 1 को हल प्रतीक से वंचित किया, बल्कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा समय पर हस्तक्षेप के बाद भी, न केवल विरोध करने का बल्कि सिर्फ समय व्यतीत करते हुए उद्देश्य को विफल करने के लिए कोई कोर कसर नही छोड़ा है।

23. घटनाओं के अनुक्रम में विस्तृत गोता लगाना उपयुक्त है। प्रत्यर्थी 1 समय के अन्दर तथा अधिसूचना दिनांक 02/05-08-2023 को प्रकाशित किये जाने के काफी पहले ही अधिसूचना दिनांक 26-07-2023 को आक्षेपित करते हुए प्रत्यावेदन द्वारा संबंधित अधिकारियों के समक्ष था जिसने इसे हल प्रतीक देने से इंकार किया था। प्रत्यर्थी 1 भारत के निर्वाचन आयोग गया था, जिसने संसूचना दिनांक 18-07-2023 द्वारा विचार व्यक्त किया था कि भारत का निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु किसी प्रतीक का आवंटन नही करता है क्योंकि यह संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चूँकि लद्दाख संघ शक्ति क्षेत्र में विधान सभा नहीं है तथा 1968 आदेश विधान सभा के बिना संघ शासित प्रदेश में दलों के मान्यता हेतु कोई उपबंध नही करता है, प्रत्यर्थी 1 को लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में मान्यता नही दी जा सकती है। फिर भी, यह आगे उल्लेख किया गया था कि चूँकि प्रत्यर्थी 1 हल के अपने आरक्षित प्रतीक के साथ जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राज्य का दल है, यह 1968 आदेश के पैरा 10 पहले ऊपर उद्धृत के अन्तर्गत रियायत का लाभ उठा सकता है।

24. 15-05-2023 को, भारत के निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य के दलों के नामों तथा मुक्त प्रतीकों के सूची का अलग-अलग उल्लेख करते हुए अपने अधिसूचना दिनांक 23-09-2021 को अद्यतन किया था जहाँ प्रत्यर्थी 1 को पुनः राज्य के दल के रूप में मान्यता दी गई थी, यद्यपि मात्र जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए। 31-05-2023 को, प्रत्यर्थी 1 ने राज्य के दल के रूप में मान्यता की माँग करते हुए तथा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में सभी निर्वाचन हेतु स्वयं को हल प्रतीक के आवंटन हेतु अपीलकर्ता सं0 2 को प्रत्यावेदन किया था। अपीलकर्ता सं0 2 ने उक्त प्रत्यावेदन अपीलकर्ता सं0 3 को टिप्पणियों के लिए भेजा था।

07’06-2023 को, अपीलकर्ता सं0 3 को टिप्पिणयों के लिए भेजा था। 07-06-2023 को, अपीलकर्ता सं0 3 ने अपीलकर्ता सं0 2 को भारत के निर्वाचन आयोग जाने का परामर्श दिया था। 08-06-2023 को प्रत्यर्थी 1 ने लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में राज्य के दल के रूप में मान्यता तथा हल प्रतीक के आवंटन की मांग किया था।

25. 07-07-2023 को, प्रत्यर्थी 1 ने हल प्रतीक के साथ लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में राज्य के दल के रूप में मान्यता की मांग करते हुए अपीलकर्ता सं0 2 का प्रतिनिधित्व किया था। अपीलकर्ता सं0 2 ने उक्त प्रत्यावेदन अपीलकर्ता सं0 3 को 11-07-2023 को भेजा था तथा इस पर टिप्पणियों की मांग किया था। 12-07-2023 को, अपीलकर्ता सं0 3 ने विधि विभाग के राय को सम्मिलित करते हुए अपीलकर्ता सं0 2 को लिखा था, जो प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में था। अपीलकर्ता सं0 3 ने संकेत किया था कि प्रत्यर्थी 1 को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा एलएएचडीसी निर्वाचन हेतु मान्यता दी जा सकती है तथा आरक्षित प्रतीक उपलब्ध कराया जा सकता है।

26. अपीलकर्ता सं0 2 को अपीलकर्ता सं0 3 के संसूचना दिनांक 12-07-2023 के अनुसरण में कोई कार्यवाही नही की गई थी तथा कोई आदेश पारित नहीं दिया गया था। तत्पश्चात, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन विभाग ने भारत के निर्वाचन आयोग के अधिसूचना दिनांक 15-05-2023 के अनुसार आरक्षित तथा मुक्त प्रतीकों के सूची को अधिसूचित करते हुए 26-07-2023 का अधिसूचना जारी किया था। प्रत्यर्थी 1 अधिसूचना दिनांक 26-07-2023 का चुनौती देते हुए तथा एलएएचडीसी के निर्वाचन हेतु अपने आरक्षित प्रतीक के रूप में हल प्रतीक को अधिसूचित करने के परमादेश की मांग करते हुए 29-07-2023 को उच्च न्यायालय गया था। रिट याचिका लंबित होने के नाते, 05-08-2023 को, लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचन विभाग ने 5वें एलएएचडीसी, कारगिल को गठित करने के लिए निर्वाचन की अनुसूची अधिसूचित किया था। इस प्रकार के पृष्ठभूमि में, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था तथा विद्वान खण्डपीठ द्वारा अभिपुष्ट किया गया था।

27. यह न्यायालय इस चिंता के साथ उल्लेख करता है कि अपीलकर्तागण प्रत्यर्थी 1 के प्रतिनिधित्व के विषय में परामर्श करते हुए, आगे गये तथा 02/05.08.2023 को निर्वाचनों को अधिसूचित किया था। हम इस प्रकार के आचरण की सराहना करने में असमर्थ है। समय के अन्दर विनिश्चय करने की इस जिद का प्रबल प्रमाण उपस्थित करता है। इस जैसे दृष्टांत गंभीर प्रश्नों को उठाते हैं।

28. मामले में विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात, न्यायालय वर्तमान अपील में कोई गुणावगुण नही पाता है। प्रत्यर्थी 1 द्वारा हल प्रतीक के आवंटन हेतु अनुरोध इस स्पष्ट कारण से सद्भाविक, विधि सम्मत तथा न्यायपूर्ण था कि पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य में (जिसमें वर्तमान लद्दाख संघ शासित क्षेत्र शामिल था), हल प्रतीक आवंटित किये जाने के पश्चात एक मान्यता प्राप्त राज्य का दल था। पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के द्विभाजन तथा दो नये संघ शासित क्षेत्र अर्थात जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र तथा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के सृजन के पश्चात, यद्यपि भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रत्यर्थी 1 को लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य के दल के रूप में अधिसूचित नही किया था, यह सर्वथा नही हो सकता है कि प्रत्यर्थी 1 तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में स्वयं के लिए हल के प्रतीक के आवंटन हेतु हकदार नही था। यह भी

स्पष्ट है कि अपीलकर्तागण अनुमोदन तथा अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका यह न्यायालय समर्थन नही करेगा।

29. वर्तमान मामले में, इस कारण किसी अन्य पणधारी से विरोध नही है कि हल प्रतीक न तो किसी राष्ट्रीय या राज्य के दल को अनन्य रूप से आवंटित प्रतीक है न ही प्रतीकों में से एक को मुक्त प्रतीकों के सूची में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार, इस प्रकार का प्रतीक प्रत्यर्थी 1 को देने में कोई बाधा न थी तथा न है। यह हल प्रतीक के पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रत्यर्थी सं0 1 हेतु तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए भी, जैसा अभी विद्यमान है, जहाँ इस प्रतीक को इसे आवंटित किया गया है आरक्षित प्रतीक के तथ्यात्मक विन्यास में भी पुष्ट होता है।

30. अपीलकर्तागण के विद्वान अपर महा सालीसिटर का तर्क यह है कि हल प्रतीक को आवंटित नही किया जा सकता है, न तो किसी कारण द्वारा समर्थन किया गया है न ही इस प्रकर दिये जाने के लिए किसी विधिक बाधा को प्रदर्शित किया गया है। प्रतीकों के आवंटन से संबंधित प्रश्नगत निर्वाचनों के संचालन हेतु विरचित किसी नियम में विरुद्ध किसी बात के अभाव में, समान प्रकृति के कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कम से कम 1968 आदेश के प्रावधानों पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, पैरा 9, 10, 10(क) तथा 12 के सामंजस्यपूर्ण पठन से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 1968 आदेश के निबंधनों के अन्तर्गत, प्रत्यर्थी 1 का अनुरोध औचित्य से रहित नही है। दुहराने के कीमत पर, न्यायालय यह संकेत करता है कि यह संकेत देने क लिए इस न्यायालय को कुछ भी सारभूत प्रदर्शित नही किया गया है कि हल प्रतीक का आवंटन किसी प्रकार से उल्लंघन होगा या लोकहित के विरुद्ध जायेगा।

31. अपीलकर्तागण की ओर से विद्वान अपर महा सालीसिटर द्वारा निवेदित इस आशय का एक दूसरा महत्वपूर्ण विवाद्यक यह है कि निर्वाचन प्रक्रिया के उपांतिम प्रक्रम पर पहुँच जाने के कारण प्रत्यर्थी 1 को अनुतोष न दिया जाय, दुर्भाग्य से नामंजूर किये जाने का उल्लेख किया जाना चाहिए। विद्वान सकल न्यायमूर्ति तथा विद्धान खण्डपीठ के क्रमिक आदेशों का अनुपालन न करने का चुनाव खुली आंखों से करने के पश्चात, जिसमें दोनों को समय के अन्दर पारित किया गया था, जैसे अधिसूचित निर्वाचन अनुसूची को न रोकना/ विलम्ब न करना, अपीलकर्तागण को यह अभिवचन करने की अनुमति नही दी जा सकती है कि इस विलम्ब पर हमारे द्वारा हस्तक्षेप उपलब्ध नही होना चाहिए।

32. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बल दिया है कि किसी वादकरी को रंचमात्र भी संदेह या विचार नही होना चाहिए (बल्कि, कुविचार) कि जानबूझकर किये गये विलम्ब के कारण या मामले को न्यायालयों द्वारा न किये जाने के कारण जिसके परिणामस्वरूप समय बीता है उद्देश्य विफल हो जायेगा तथा न्यायालय को संबंधित दल को न्याय सुनिश्चित करने के लिए असहाय बना दिया जायेगा। यह उल्लेख करना अनुचित नही होगा कि यह न्यायालय घड़ी को पीछे भी कर सकता है, यदि स्थिति के लिए इस प्रकार की घोर काररवाई आवश्यक है। इस न्यायालय की शक्तियाँ, यदि जरूरत पड़ी तो यथापूर्व स्थिति को पुर्नस्थापित कर सकती है जो किसी संदेह के परिधि में नही है। ***नबम रेबिया तथा वमंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरूणाचल प्रदेश विधानसभा*** **(2016) 8एससीसी 1** में अन्य 4 विद्वान न्यायमूर्तिगण द्वारा सहमत मा0

खेहर, न्यायमूर्ति (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में) द्वारा प्रमुख राय में दिया गया अनुतोष (अनुतोषों) इस पहलू पर पर्याप्त है। हम पूर्णतया भलीभांति जानते हैं कि ***सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, राज्यपाल महाराष्ट्र,*** **2023 एससीसीआनलाइन एससी 607** में पांच जजों की पीठ ने ***नेबम रेबिया (ऊपर)*** बृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट किया है। फिर भी, बृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट प्रश्न यथापूर्व स्थिति को वापस लाने की शक्ति से घटता नहीं है। इसके अलावा, यह सुस्थापित है कि बृहत्तर पीठ को मात्र निर्देश घोषित विधि को अव्यवस्थित नही करता है। ***हर भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य*** **(2009) 13 एससीसी 608 में,** ***2*** जजों की पीठ ने कहा:

> *"15. भले ही विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया है सही है, इस प्रक्रम पर उक्त प्रश्न की जांच करना हमारे लिए नहीं है, इससे साक्षीगण की प्रति परीक्षा की गई थी। न्यायालय ने इस समाधान पर पहुँचने के प्रयोजन हेतु स्वयं को उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखा था कि संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत अधिकारिता के प्रयोग हेतु मामला बनता था। मात्र इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाफी ((2007) 14 एससीसी 544: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 889: (2007) 4 एससीआर 1023: (2007) 5 स्केल 611) में निर्णय के एक भाग के विशुद्धता पर संदेह एक दूसरे पीठ द्वारा किया गया है, इसका मतलब यह नही होगा कि हमे बृहतर पीठ के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से जब यह अपीलकर्तागण की सहायता करने के बजाय इनके तर्क के विरुद्ध होता है।"*
>
> (बल दिया गया)

33. अशोक सादारगंनी बनाम भारत संघ (2012) 11 एससीसी 321 *में, एक दूसरे 2 जजों की पीठ ने संकेत दिया था:*

> *"29. जैसा हर भजन सिंह मामला (हर भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 13 एससीसी 608: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1135) में संकेत दिया गया है, बृहतर पीठ को निर्देश के लंबित रहने का मतलब यह नही होता है कि सभी अन्य कार्यवाहियाँ जिसमें एक ही विवाद्यक अन्तवलित है निर्देश में निर्णय दिये जाने तक रूका रहेगा। इसलिए, ज्ञान सिंह मामला ((2010) 15 एससीसी 118) में किये गये निर्देश को हमें रोकने की आवश्यकता नही है। इस समय तक चूँकि वर्जन पर प्रोद्धृत निर्णय को किसी भी प्रकार उपांतरित या परिवर्तित नही किया गया है, यह लगातार बना रहेगा।"*
>
> (बल दिया गया)

34. दूसरी तरफ, जब यह उचित समझा गया कि इस न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अवर न्यायालयों/अधिकरणों के अन्य पीठों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, इसे सुस्पष्टतया संकेत दिया गया था, जैसा ***हरियाणा राज्य बनाम जी0डी0 गोयनका पर्यटन निगम लिमिटेड,*** **(2018) 3 एससीसी 585** में मामला था: निर्देश का उत्तर अन्ततः ***इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल*** **(2020) 8 एससीसी 129** ***में दिया गया था।***

> *"9. इस सभी को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि यह उचित होगा यदि बृहतर पीठ को निर्देश यदि किचिंत करने पर अंतरिम में तथा अंतिम निर्णय के लंबित रहते, उच्च न्यायालयों से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 से संबंधित या निवर्चन से संबंधित किसी मामलों पर विचार न करने का अनुरोध किया जाय। महासचिव शीघ्रता से इस*

आदेश को प्रत्येक उच्च न्यायालय के महा निबन्धक को संसूचित करेगा जिससे हमारे अनुरोध का अनुपालन किया जा सके।

10. जहाँ तक इस न्यायालय में लंबित मामलों का संबंध है, हम समान तरह के मामलों पर विचार करने वाले संबंधित पीठों से तब तक सुनवाई आस्थगित करने का अनुरोध करते हैं जब तक निर्णय इस विवाद्यक पर एक या दूसरे तरीके से नही दिया जाता है कि क्या मामले को बृहतर पीठ को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए या नहीं। किसी और के अलावा, विचार को आस्थगित करने से मुकदमा लड़ने वाले पक्षकारगण असुविधा से बच जायेगें, चाहे राज्य हो या व्यक्ति हो।''

(बल दिया गया)

35. हम इस आधार पर मामलों का विनिश्चय न करने वाले उच्च न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष निर्णयों तथा आदेशों पर विचार कर रहे हैं कि इस विषय पर इस न्यायालय का अग्र निर्णय या तो बृहतर पीठ को निर्दिष्ट है या इससे संबंधित पुनर्विलोकन याचिका लंबित है। हमें इस विषय पर इस न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करने से इंकार करने वाले उच्च न्यायालयों के उदाहरण भी मिले हैं कि परवर्ती समन्वय पीठ ने इसके विशुद्धता पर संदेह व्यक्त किया है। इस संबंध में, हम विधि में स्थिति को अधिकथित करते हैं। हम पूर्णतया इसे स्पष्ट करते है कि उच्च न्यायालय विधि जैसा लागू है के आधार पर मामलों का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा। यह जब तक इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से निदेशित नही किया जाता है निर्देश या पुनर्विलोकन याचिका, जैसी भी स्थिति हो के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए स्वतंत्र नही है। उच्च न्यायालय यह कहते हुए निर्णय का अनुसरण करने से इंकार करने के लिए भी स्वतंत्र नही है कि इस पर पश्चातवर्ती समन्वय पीठ द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। किसी भी स्थिति में, जब इस न्यायालय के समान संख्या के पीठों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय सम्मुख होता है, पूववर्ती निर्णय जिसका अनुसरण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा ***नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी*** **(2017) 16 एससीसी 680** (इस बिन्दु पर रिपोर्ट में पैरा 27 तथा 28 देखे) उच्च न्यायालय वास्तव में अपने समक्ष मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए ऐसा करेगा।

36. हम जानते हैं कि, कतिपय निर्णयों द्वारा, जिसमें कुछ का संकेत इस निर्णय में किया गया है, न्यायालय ने अन्य क्षेत्रों के संसद, राज्य विधान सभाओं तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित सिद्धांतों का विस्तार किया था। निर्देशात्मक रूप से, निर्णयों का निवर्चन हमेशा संबंधित विशिष्ट मामलों के तथ्यों तथा परिस्थितियों को सम्यक् ध्यान में रखते हुए किया जाता है। (संजय दूबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 आईएनएससी 519 पैरा 18)। हमने संविधान के अनुच्छेद 243-ओ, 243 जेडजी तथा 329 पर दृष्टि डाली है तथा निष्कर्ष निकाला है कि सिद्धांत पर भी कोई वर्जन उच्च न्यायालय को हानि नही पहुँचाता है। एतस्मिन्पूर्व तथा एतस्मिन्पश्चात स्पष्ट रूप से विचार किये गये निर्णयों के अलावा, हमने अपने स्वयं के इच्छाशक्ति से अन्य बातों के अलावा, ***एन.पी. पोन्नूस्वामी बनाम रिटर्निंग आफीसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र,*** **1952 एससीआर 218** ***जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''इस परिच्छेद में चर्चा यह स्पष्ट करता है कि शब्द ''निर्वाचन'' का सम्पूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में समुचित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है तथा किया गया है जिसमें कई प्रक्रम शामिल है तथा कई कदमों***

से लाभ उठाता है, जिसमें कुछ का संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के संबंध में प्रक्रिया के परिणाम से महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है। दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह,* (1955) 1 एससीआर 267; *हरी विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक,* (1955) 1 एससीआर 1104; *नारयण भाष्कर खरे (डा0) बनाम भारत का निर्वाचन आयोग* 1957 एससीआर 1081; *मोहिन्दर सिंह मिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त* (1978) 1 एससीसी 405; *लक्ष्मी चरण सेन बनाम ए के एम हसन उज्जमन,* (1985) 4 एससीसी 689; *इन्द्रजीत बरूआ बनाम भारत का निर्वाचन आयोग* (1985) 4 एससीसी 722; *भारत का निर्वाचन आयोग बनाम शिवाजी,* (1988) 1 एससीसी 277; *दिग्विजय मोटे बनाम भारत संघ,* (1993) 4 एससीसी 175 *जहाँ भारत के निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 की शक्तियाँ प्रासंगिक है, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि यह शक्ति अनियंत्रित नही है। फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन लोक विधि अधिकारों को प्रभावित करने वाले अपने कार्यों को करते हुए कानूनी निकाय पर अनुज्ञेय होगा; बोददुला कृष्णैया बनाम राज्य निर्वाचन आयुक्त, आंध्र प्रदेश* (1996) 3 एससीसी 416; *अनुराग नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (1996) 6 एससीसी 303; *भारत का निर्वाचन अयोग बनाम अशोक कुमार* (2000) 8 एससीसी 216; *किशन सिंह तोमर बनाम नगर निगम अहमदाबाद,* (2006) 8 एससीसी 352; *पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी),* (2018) 18 एससीसी 141; *द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाम तमिलनाडु राज्य,* (2020) 6 एससीसी 548; *लक्ष्मी बाई बनाम कलेक्टर,* (2020) 12 एससीसी 186, *तथा उपन्तिम नहीं, गोवा राज्य बनाम फौंजिया इम्तियाज शेख,* (2021) 8 एससीसी 401 *जहाँ विद्वान 3 जजों की पीठ ने अपने समक्ष विवादयक (विवादयकों) से सुसंगत श्रृखंलाबद्ध पूर्वनिर्णयों पर विचार किया है। इसमे मामले के तथ्यों तथा समय सीमा के साथ छानबीन के बाद, हम आश्वस्त है कि उच्च न्यायालय ने आगा पीछा नही किया था।

37. हम बताना चाहते हैं कि इस विस्तार तक निर्वाचन मामलों में ऊपर कुछ निर्णयों में कुछ विस्तार से प्रदर्शित सामान्य सिद्धांत के रूप में न्यायालयों द्वारा स्वगृहीत नियंत्रण कि एक बार अधिसूचना जारी कर दी जाती है तथा निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, संवैधानिक न्यायालय सामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करता है, एक विवादास्पद मुद्दा नही है। लेकिन जहाँ विवादयक अन्यायपूर्ण कार्यपालिका कार्यवाही का न्यायानुमोध अथवा बोधगम्य आधार के बिना उम्मीदवारों तथा/या राजनैतिक दलों के बीच होने वाले चुनाव को बाधित करने का प्रयत्न करने का संकेत देते हुए उत्पन्न होता है, संवैधानिक न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक होता है, बल्कि ये कर्तव्यबद्ध है। कारण कि न्यायालयों ने आमतौर पर न्यूनतम हस्तक्षेप के दृष्टिकोण को कायम रखा है यह सुनिश्चित करने का एक मात्र हितकरी उद्देश्य है कि निर्वाचन जो लोगों की इच्छा का प्रकटीकरण है, को इसके विलम्ब या तनूकरण के बिना इनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाय। समुचित समय पर व्यथित वादकारी को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में (बी एस हरी कमांडेन्ट बनाम भारत संघ 2023 एससीसी आनलाइन एससी 413 पैरा 50) विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने ठीक ही कार्यवाही किया था। सभी औचित्य में, हमें उल्लेख करना चाहिए कि विद्वान अपर महा सालीसिटर ने बहस के अनुक्रम के दौरान, निदेशो को जारी करने के उच्च न्यायालय के स्वतः शक्ति का विरोध नही किया था इसने किया, सिवाय कि यह अपीलकर्तागण को इनके विवेकाधिकार से वंचित करने के तुल्य था। जैसा

एतस्मिन्पूर्व कहा गया है, हम संतुष्ट है कि 1968 आदेश के दृष्टिगत, अपीलकर्तागण का विवेकाधिकार अनियंत्रित नहीं था, तथा बल्कि, यह 1968 आदेश द्वारा मार्गदर्शित था।

38. विद्वान एकल न्यायमूर्ति के तार्किकता को आगे विद्वान खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कोई संदेह नही छोड़ता है कि प्रत्यर्थी 1 द्वारा ईप्सित अनुतोष दिया जाना आवश्यक था तथा तद्नुसार इसे उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर कियागया था। निरा कारक जो हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है यह है कि समय के पहले तथा समय के अन्दर, रिट याचिका द्वारा, प्रत्यर्थी 1 अनुतोषों के लिए पहली बार के न्यायालय (विद्वान एकल न्यायमूर्ति) गया था, जिसे अंततोगत्वा इनके लिए बिल्कुल ठीक पाया गया है तथा अपीलीय न्यायालय (विद्वान खण्डपीठ) द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। अपीलकर्तागण को, ध्यान दिया जाय, किसी रोक के बिना उच्च न्यायालय के आदेशोंं के निरा अननुपालन के कारण, अकेले वर्तमान अव्यवस्था हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस निरा तथ्यों की बराबरी मोटे तौर पर अन्य काल्पिनिक परिदृश्यों से नहीं की जा सकती है, जिसमें तथ्यों के लिए पूर्णतया न्यूनतम हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।

39. यह मामला मनमना तरीके से तथा तत्पश्चात, आत्म संतुष्ट, बल्कि अति विश्वस्त होते हुए कि न्यायालय हस्तक्षेप नही करेगा निर्वाचनों से संबंधित अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों के अप्रत्यक्ष खतरे के विस्तृत पहलू को ध्यान में रखने के लिए न्यायालय को बाध्य करता है। भ्रामक विचार यह है कि अंतिम परिणाम तक पहुँचने में, निर्वाचन समाप्त होने के बाद, जब इस प्रकार के निर्णय/कार्यवाहियों को निरा समय व्यतीत करके चुनौती नही दिया जाता है, अनुत्क्रमणीय परिणाम होगा तथा किसी सारवान अनुतोष को गढ़ा नहीं जा सकता है भ्रामक जैसा है। फिर भी, अधिकारियों द्वारा आचरण जैसा इसमें प्रदर्शित है न्यायालय को गंभीरतापूर्वक व्यापक पुर्नविचार करने के लिए मजबूर कर सकता है, कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए स्वगृहीत निर्बन्धन का और उदार निवर्चन आवश्यक हो सकता है कि न्याय न केवल किया जाय बल्कि किया गया दिखाई पड़े तथा किसी प्रयतित अनिष्ट को समय से पहले नष्ट कर दिया जाय। हम अवमान कार्यवाही के लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्तागण पर आगे टिप्पणी से विरत रहते हैं।

40. जैसा पूर्वगामी पैरा में हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया है, इसमें प्रकट होने वाली स्थिति एक तरह से कहाँ जाय तो, अभूतपूर्व है। पीड़ा का अनुभव करने के साथ, यह कहना गलत नही होगा कि वर्तमान निर्णय को स्वयं अपीलकर्तागण द्वारा मांगा गया है। हमारे सुविधारित राय में, उच्च न्यायालय का आदेश निर्वाचन प्रक्रिया के सहायतार्थ थी तथा इसमें कोई दोष नही पाया जा सकता है।

41. विद्वान अपर महा सालीसिटर का निवेदन कि प्रत्यर्थी 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति ने अधिसूचित अंतिम तिथि तक, अपना नामांकन फार्म दाखिल नही किया था, अनुपयुक्त है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में, प्रत्यर्थी 1 से संबद्ध कोई उम्मीदवार/प्रतिनिधि हल प्रतीक के रूप में फार्म नहीं भर सकता था जो न तो आरक्षित प्रतीक था न ही मुक्त प्रतीक था तथा इस प्रकार, किसी उम्मीदवर द्वारा नही चुना जा सकता था। जब नामांकन फार्म भरा जा रहा हो। गंभीर परिणाम यह हुआ था कि राजनैतिक दल के रूप में प्रत्यर्थी 1 की पहचान एलएएचडीसी के निर्वाचन के पहले निस्तेज हो गई थी, जहाँ यह सत्तारूढ़ पदधारी दल था।

42. इस न्यायालय ने पहले निर्वाचन प्रणाली में प्रतीक के महत्व पर विचार किया है, विशेष रूप से जिसे एक राजनैतिक दल को आवंटित किया गया है। श्री सादिक अली बनाम भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, (1972) 4 एससीसी 664 में 3 जजों के पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आॅल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेस शिलांग बनाम कैप्टन डब्ल्यू ए संगमा (1977) 4 एससीसी 161 में 3 विद्वान जजों के एक दूसरे पीठ ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है:

> *"29. निर्वाचन कराने के प्रयोजन हेतु, प्रतीक का आवंटन उस देश में प्रमुख स्थान पर होगा जहाँ निरक्षरता आज भी बहुत ज्यादा है। अनुभव से यह पाया गया है कि अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत डालने हेतु एक उपकरण के रूप में प्रतीक बहुमूल्य मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा, ठीक जैसे लोगों मे अपने देश के झण्डे के प्रति सम्मान, गौरव तथा देशभक्ति के अभिमान का भाव बढ़ता है, उसी प्रकार राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक हेतु अत्यधिक जोश तथा आवेग पैदा होता है। ऐसा विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र में होता है जिसे दलीय आधार पर संचालित किया जाता है। लोग एक समय के बाद स्वयं को प्रतीक तथा झण्डे के साथ पहचानते है। यह अधिक एक कर देने वाला प्रतीक है जिसे यकायक मिटाया नही जा सकता है।*
>
> (बल दिया गया)

43. ***श्री सादिक अली (ऊपर)*** *पर भरोसा रखते हुए, 2 जजों की पीठ ने एदापद्दी के* ***पलानीस्वामी बनाम टीटीवी दीनाकरन (2019) 18 एससीसी 219*** *में निम्नवत् सार संक्षिप्त किया है:*

> *"39 हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि* ***राजनैतिक दल हेतु एक ही प्रतीक होने के प्रभावोत्पादकता को सादिक अली बनाम भारत का निर्वाचन आयोग*** *(सादिक अली बनाम भारत का निर्वाचन आयोग, (1972) 4 एससीसी 664) में रेखांकित किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 21 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार संप्रेक्षित किया है: (एससीसी पे0 674-75)*
>
> ***"21..... निर्वाचक मण्डल की बहुतायत संख्या अशिक्षित है। यह महसूस किया जाता है कि निरक्षरता के अक्षमता के दृष्टिगत, अशिक्षित मतदाताओं द्वारा अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत डालता संभव नही हो सकता है जब तक स्वयं मतपत्र पर कुछ सचित्र प्रतिरूपण न हो जिसके द्वारा इस प्रकार के मतदातागण अपने पसंद के उम्मीदवार की पहचान कर सकते हैं। तदनुसार प्रतीकों को प्रयोग में लाया गया था। निशान या प्रतीक भारत के निर्वाचन विधि का विशेष लक्षण नहीं है..... उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन की प्रक्रिया यथासंभव असली तथा निष्पक्ष है तथा यह कि किसी मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत डालने में किसी अक्षमता से ग्रसित नही होना चाहिए। यद्यपि उद्देश्य जो प्रतीकों के उत्पति का कारण है सीमित चरित्र का था, प्रत्येक राजनैतिक दल का प्रतीक समय बीतने के साथ अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है क्योंकि अधिकांश निर्वाचक मण्डल निर्वाचन के समय पर राजनैतिक दल के प्रतीक से जुड़ा होता है।....."***
>
> (बल दिया गया)

इसी प्रकार पैरा 40 तथा 41 में इस प्रकार संप्रेक्षित किया गया है: (सादिक अली मामला (सादिक अली बनाम भारत का निर्वाचन आयोग, (1972) 4 एससीसी 664), पे0 682)

"40.... इसलिए यह समझा जायेगा कि प्रतीकों के आवंटन के मामले में उपरोक्त नियमावली द्वारा आयोग को सर्वागींण शक्तियाँ दी गई है..... यदि आयोग को प्रतीकों के आवंटन के मामले में इसमें निहित सर्वांगीण शक्तियों को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने से तथा इस संबंध में निदेशों को जारी करने के लिए अशक्त नही होना चाहिए, यह स्पष्टतया आवश्यक है कि आयोग के पास राजनैतिक दल के प्रतीक के आवंटन हेतु दावा मामले में विवाद को हल करने की शक्ति होनी चाहिए जिसे दो प्रतिद्वन्दी दावेदारों द्वारा किया जाता है। पैरा 15 प्रतीक आदेश के प्रमुख उद्देश्य तथा प्रयोजन को कार्यान्वित करने तथा सहायक होने के लिए आशयित है। पैरा यह सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित है कि दो या अधिक समूहों के बीच राजनैतिक दल में विवाद पैदा होने के कारण, राजनैतिक दल हेतु आरक्षित प्रतीक के आवंटन से संबंधित प्रतीक आदेश के सम्पूर्ण स्कीम की अवज्ञा नही की जाती है।..... आयोग संविधान द्वारा सृजित प्राधिकरण है तथा अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु तथा संचालन हेतु निर्वाचक नामावली का अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण आयोग में निहित होगा। तथ्य कि राजनैतिक दल के प्रतीक के आवंटन हेतु दो प्रतिद्वन्दी समूहों के बीच विवाद हल करने की शक्ति को इस प्रकार के उच्च प्राधिकरण में निहित किया गया है उपधारणा पैदा करेगा, यद्यपि खण्डनीय तथा गारण्टी देगा, यद्यपि पूर्ण नहीं बल्कि काफी विस्तार तक, कि शक्ति का दुरूपयोग नही किया जायेगा बल्कि ऋजु तथा युक्तियुक्त तरीके से प्रयोग किया जायेगा।

41..... अनुच्छेद 324 जैसा ऊपर उल्लिखित है उपबंध करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।....."

(बल दिया गया)

40. सादिक अली (सादिक अली) बनाम भारत का निर्वाचन आयोग (1972) 4एससीसी 664) में इस निर्णय का अनुसरण कन्हैया लाल उमर बनाम आर0के0 द्विवेदी (कन्हैया लाल उमर बनाम आर0के0 त्रिवेदी (1985) 4 एससीसी 628) में किया गया है तथा इसके पैरा 10 में न्यायालय ने इस प्रकार संप्रक्षित किया है: (एससीसी पे0 635-36)

"10. यह सत्य है कि हाल तक संविधान ने स्पष्ट रूप से राजनैतिक दलों के अस्तित्व को निर्दिष्ट नही किया था। लेकिन इनका अस्तित्व सरकार के लोकतांत्रिक रूप के प्रकृति में विवक्षित है जिसे हमारे देश ने अपनाया है। ***प्रतीक का उपयोग चाहे गधा हो या हाथी हो, सामान्य राजनैतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम वाले लोगों में एक कर देने वाले परिणाम को उद्भूत करता है तथा अंततोगत्वा वेस्ट मिनस्टर प्रकार के लोकतंत्र के स्थापना में सहायता करता है*** *जिसे हमने जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उत्तरदायी केबिनट को अपनाया है जो निम्न सदन को गठित करता है। राजनैतिक दल होना चाहिए यदि सरकार के वर्तमान प्रणाली को सफल होना चाहिए तथा राजनैतिक दलों का विभाजन करने वाली गहरी खाई इतनी गहरी होनी चाहिए जिससे प्रशासन का बदलाव वास्तव में संवैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत छद्म क्रान्ति होगा। यह निःसन्देह विरोधाभास है कि जबकि देश पूर्णतया अपने एकता के कार्पोरेट भाव तथा सातत्य में अन्य नही देता है, इस राजनैतिक व्यवस्था का कार्यशील भाग दल गत आधार पर*

इतना संगठित है- दूसरे शब्दों में, ''सुव्यवस्थित मतभदों तथा अन सुलझे विरोधों पर''। यह हमारी व्यवस्था का सार है तथा यह बहुमत द्वारा सरकार के ढांचे को सुकर बनाता है। यद्यपि हाल तक संविधान ने स्पष्ट रूप से राजनैतिक दलों के अस्तित्व को निर्दिष्ट नही किया था, संविधान (वावनवाँ संशोधन) अधिनियम 1985 द्वारा इसमें किये गये संशोधनों द्वारा संविधान द्वारा राजनैतिक दलों की अब स्पष्ट मान्यता है। संविधान की दसवी अनुसूची जिसे उपरोक्त संशोधनकारी अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है राजनैतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार करता है तथा उन परिस्थितियों को वर्णित करता है जब संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य को इसके राजनैतिक दल से दल परिवर्तित किया समझा जायेगा तथा एतद्द्वारा संबंधित सदन का सदस्य होने से अयोग्य हो जायेगा। अतः यह कहना कठिन है कि प्रतीक आदेशों द्वारा राजनैतिक दलों के मान्यता को निर्देश, पंजीकरण इत्यादि अनधिकृत तथा हमारे देश द्वारा अपनाये गये राजनैतिक प्रणाली के विरुद्ध है।''

(बल दिया गया)''

(हमारे द्वारा मोटे अक्षर द्वारा बल दिया गया)

44. पूर्वोक्त कारणों पर, अधिसूचना सचिव/निर्वाचन/2023/290-30/ दिनांक 05-08-2023 द्वारा प्रकाशित एस.ओ. 53 के अन्तर्गत लद्दाख संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, निर्वाचन विभाग, संघ शासित क्षेत्र सचिवालय, लद्दाख द्वारा जरी अधिसूचना दिनंाक 02-08-2023 के अनुसरण में आरम्भ सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को अपास्त किया जाता है। 5वें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, कारगिल का गठन करने के लिए निर्वाचन हेतु आज से सात दिनों के अन्दर नयी अधिसूचना जारी की जायेगी। प्रत्यर्थी 1 को स्वयं द्वारा पेश किये जाने के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों के लिए हल प्रतीक के अनन्य आवंटन का हकदार घोषित किया जाता है।

45. तद्नुसार, इस अपील को सर्वोच्च न्यायालय, एडवोकेट आन रिकार्ड कल्याण निधि में जमा किये जाने के लिए रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख) के खर्चों के साथ खारिज किया जाता है। इसे दो सप्ताह में किया जाय तथा इसका सबूत प्रदर्शित करने वाले रशीद को तत्पश्चात एक सप्ताह में इस न्यायालय के रजिस्ट्री में दाखिल किया जाय। आई ए 170833/2023, 170885/2023 तथा 174512/2023 को औपचारिक रूप से अनुज्ञात के रूप में माना जाय।

46. दो आगे परिणाम निकलता हैं:

(क) उच्च न्यायालय श्रीनगर के लंबित रिट याचिका (सिविल) सं0 1933 वर्ष 2023 को उपरोक्त निबंधनों में निपटाया जाता है।

(ख) विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष आगे 08-09-2023 को सूचीबद्ध सीसीपी (एस) सं0 340 वर्ष 2023 बचा है। वर्तमान निर्णय पर विचार करते हुए विधि के अनुसार शीघ्रता से इसमें अग्रसर हुआ जाय।

शीर्ष टिप्पणियाँ अपील खारिज

दिव्या पाण्डेय द्वारा तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)